संख्या:520 (1)/79–6–07–1(9) 2005

प्रेषक,

रमेश चन्द्र घिल्डियाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग – 6 लखनऊ दिनांकः 15 मार्च, 2007

विषयः मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत खाना पकाने के बर्तनों/किचेन उपकरणों की व्यवस्था/बदलाव (रिप्लेसमेन्ट) के लिए धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गरम पका–पकाया भोजन (कुक्ड़ मील) दिये जाने हेतु खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तनों/किचेन उपकरणों के लिए संलग्न विवरणानुसार रू0 14,73,28,000/– (रू0 चौदह करोड़ तिहत्तर लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारियों द्वारा आहरित कर निर्धारित कार्यो पर व्यय करने हेतु नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/टाउन एरिया/ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी जिनके द्वारा यह धनराशि उनकी क्षेत्र सीमा के योजनान्तर्गत आने वाले विद्यालयों में किचेन उपकरण की व्यवस्था/बदलाव (रिप्लेसमेन्ट) हेतु प्रयोग में लायी जायेगी। इस धनराशि के लेखों के रख–रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा यह धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगीः–

1. उक्त धनराशि का अलग से लेखा खाता रखा जाएगा और इस धनराशि को जिस कार्य के लिए स्वीकृत किया गया है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाएगा।
2. इस धनराशि से प्राप्त की गयी सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण एक अलग रजिस्टर में नियमानुसार अंकित किया जाएगा।

3– उक्त धनराशि रू0 14,73,28,000 (रू0 चौदह करोड़ तिहत्तर लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

4– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक ''2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा – अयोजनागत–102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–08–मिड डे मील–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता से विकलित होगी तथा अनुदान संख्या–71 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2202–सा0शि0–01–प्रा0शि0–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–07–मंहगाई भत्ते के लिए एकमुश्त प्राविधान–03 मंहगाई भत्ता में हो रही बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–11 की आशासकीय सख्या 477/दस 2007 दिनांकः 13–03–2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव,

पृष्ठांकन सम संख्यक (1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग।
7. नियोजन विभाग, अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त ई–।। अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. बजट अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव,